

(रा.प्र. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136)

श्रीमान उपखण्ड अभिकारी महोदय  
सिवाणा जिला बालोतरा  
(राजस्थान)

विषय - राजस्व रेकॉर्ड में दुरुस्ती के सम्बन्ध में ।  
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम धुलण की जमाबन्दी सम्वत् 2022-23 के खाता संख्या 217 में मेरा/हमारे नाम कन्हैयालाल पुत्र अंबरा दर्ज है जो अशुद्ध है, जिनके स्थान पर मेरा / हमारे शुद्ध नाम कन्हैयालाल पुत्र अंबर सिंह है।  
अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करावें ।  
दिनांक :-

हस्ताक्षर प्रार्थी/प्रार्थीगण  
कन्हैयालाल

रिपोर्ट पटवारी / भू.अ. निरीक्षक

पटवारी के संलग्न दस्तावेजों के अनुसार कन्हैयालाल पुत्र अंबरा के स्थान पर कन्हैयालाल पुत्र अंबर सिंह नाम शुद्ध किया जाना सुनिश्चित है।

रिपोर्ट तहसीलदार / नायब तहसीलदार

17.10.25  
म.स.सि.  
प. सावरदा

रिपोर्ट पटवारी एवं भू.अभिलेख निरीक्षक अनुसार उपवर्णित दुरुस्ती किया जाना उचित है ।

Gems - 2025/625

आदेश

तहसीलदार-समदडी  
तहसीलदार-सनदडी

क्रमांक / म.अ.सि. / 1719

दिनांक 17/10/25

रिपोर्ट तहसीलदार समदडी अनुसार ग्राम धुलण की जमाबन्दी संवत् 2022-23 के खाता संख्या 217 में कन्हैयालाल पुत्र अंबरा के बजाय सम्मान सूचक इन्द्राज

कन्हैयालाल पुत्र अंबर सिंह की जाती सिवाणा में उपलब्ध दरगमद की कार्यवाही की जावे ।



करने की स्वीकृति प्रदान  
उपखण्ड अभिकारी सिवाणा  
सिवाणा, बालोतरा